समाचार-प्रकाशनार्थ:-

रतलाम नगर निरंतर बढ़ रहा है जीरो वेस्ट की ओर

वार्ड क्रमांक 32 व 36 भी बने जीरो वेस्ट वार्ड

नगर के 18 वार्डो में चल रहा है जीरो वेस्ट का कार्य

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों अपना सहयोग प्रदान करें

रतलाम 20 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 1ए 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 29ए 33ए 34ए 35ए 39ए 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 20 मार्च शनिवार से वार्ड क्रमांक 32 व 36 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1ए 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 29ए 32ए 33ए 34ए 35ए 36ए 39ए 41 व 44 में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहूचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया। नागरिकों से भी अपील है क वे अपने घरो एवं दुकानांे से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये

अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे॰ चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबं धत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

महिला सफाई संरक्षक निलंबित व 3 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त

रतलाम 20 मार्च । लम्बे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित वार्ड क्रमांक 01 की महिला सफाई संरक्षक वमलाबाई-बाबु को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा निलंबित कया गया इसके अलावा वार्ड क्रमांक 01 के 30 दिवस सफाई संरक्षक मनीष-मुकेश व कचरा संग्रहण वाहन के हैल्पर जितेन्द्र-प्रहलाद व अ भषेक- वनोद जो क लम्बे समय से बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित थे को सेवा से बर्खास्त कया गया।

खुले में कचरा डालने पर वनित अग्रवाल पर 500 रूपये का जुर्माना

खुले में कचरा डालने का व डयो निगम आयुक्त श्री झारिया को प्राप्त हुआ था

रतलाम 20 मार्च । नगर के ऐसे नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों के गुप्त व डयो निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को प्राप्त हो रहे है जिसके तहत नगर निगम के

स्पॉट फाईन दल द्वारा संबं धत के घर-दुकान जाकर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है।

खुले में कचरा डालने वालों के व डयो प्राप्त होने पर की जा रही कार्यवाही के तहत वार्ड क्रमांक 14 काटजू नगर (जीरो वेस्ट वार्ड) क्षेत्र में वनित अग्रवाल द्वारा खुले में कचरा डालने का गुप्त व डयो निगम आयुक्त श्री झारिया को प्राप्त होने पर स्पॉट फाईन दल को व डयो की जांच करने हेतु निर्दे षत कया। स्पॉट फाईन दल ने स्थल पर पंहूचकर व डयो की जांच की व व डयो सही पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार संबं धत का 500 रूपये का स्पॉट फाईन पर कचरा निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालने के निर्देष दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने नागरिकों से अपील की है क नगर के अ धकांष वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है ऐसे में अगर कोई नागरिक खुले में कचरा डालकर गंदगी करता है तो उसका व डयो बनाकर मुझे भेजें ता क गंदगी करने वाले व्यक्ति के वरूद्व कार्यवाही की जा सकें।

जुर्माने की कार्यवाही उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वराट मेहरा के अलावा मनोज टांकए पवन झांझोटए आकाष षन्देए राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्व जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

पॉलीथीन व डस्पोजल आयटम चरणबद्व तरीके से होगा प्रतिबं धत

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये निर्देश

रतलाम 20 मार्च । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से षासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबं धत कया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्व तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अ धकारियों को निर्दे षत कया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्दे षत कया क 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबं धत कया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबं धत कया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैलीए नारियल या जूट की थैली का उपयोग करेंए प्लास्टिक व थर्मोकोल से नि र्मत कपए ग्लासए कटोरीए चम्मचए कन्टेनरए स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉए पेपर प्लेटए दोने पत्तलए पत्तो से नि र्मत बाउलए केले के तने तथा नारियल के पत्तों से नि र्मत प्लेट एवं बाउलए म ी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थो के लये करें इस हेतु प्रेरित कया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डस्पोजेबल आयटमों के वक्रयए भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही कये जाने के निर्देष संबं धत को दिये।

शास्त्री नगर में सोमवार से लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 62ए31ए144६ संपत्तिकर व 13ए43ए910६ जलकर जमा कराया

रतलाम 20 मार्च । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विार में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए

वनोबा नगर षवर में संपत्तिकर 1ए29ए000ध् व जलकर 43ए670ध्ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल षवर में संपत्तिकर 1ए22000ध् व जलकर 29ए280ध्ए तिरूपति षवर में संपत्तिकर 77ए000ध् व जलकर 19ए850ध्ए कोमल नगर षवर में संपत्तिकर 1ए27ए000ध् व जलकर 48ए220ध्ए मार्निंग स्टार स्कूल षवर में संपत्तिकर 1ए12ए000ध् व जलकर 14ए000ध्ए कस्तुरबा नगर षवर में संपत्तिकर 5ए47ए000ध् व जलकर 86ए540ध्ए प्रयदर्षनी नगर षवर में संपत्तिकर 1ए02ए000ध् व जलकर 3ए76ए905ध्ए डोंगरे नगर षवर में संपत्तिकर 1ए82ए500ध् व जलकर 76ए470ध्ए हाट रोड षवर में संपत्तिकर 68ए000ध् व जलकर 47ए595ध्ए कलीमी कालोनी षवर में संपत्तिकर 1ए17ए000ध् व जलकर 22ए680ध्ए राजेन्द्र नगर षवर में संपत्तिकर 1ए01ए644ध् व जलकर 55ए320ध्ए काटजू नगर षवर में संपत्तिकर 2ए76ए000ध् व जलकर 59ए500ध्ए वेदव्यास कालोनी षवर में संपत्तिकर 26ए62ए144ध् व जलकर 6ए71ए025ध्ए कल्याण नगर षवर में संपत्तिकर 71ए000ध् व जलकर 19ए000ध्ए दीनदयाल नगर षवर में संपत्तिकर 2ए47ए000ध् व जलकर 64ए780ध्ए बोहरा बाखल षवर में संपत्तिकर 4ए92ए000ध् व जलकर 66ए715ध्ए रामगढ़ षवर में संपत्तिकर 1ए60ए000ध् व जलकर 34ए340ध्ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास षवर में संपत्तिकर 2ए30ए000ध् व जलकर 44ए230ध्ए धानमण्डी षवर में संपत्तिकर 2ए07ए000ध् व जलकर 33ए940ध्ए जूनि कोर्ट करण टॉकज षवर में संपत्तिकर 1ए84ए000ध् व जलकर 56ए350ध्एआनन्द कालोनी षवर मे संपत्तिकर 86ए000ध् व जलकर 35ए140ध्ए प्रताप नगर षवर में संपत्तिकर 1ए16ए000 व जलकर 57ए670ध्ए महावीर नगर षवर में संपत्तिकर 69ए000ध् व जलकर 21ए185ध्ए पैलेस रोड षवर में संपत्तिकर 3ए50ए000ध् व जलकर 66ए865ध्ए चौगानिया भेरू मंदिर के पास षवर में संपत्तिकर 1ए15ए000ध् व जलकर 25ए865ध्ए सायर चबुतरा षवर में संपत्तिकर 2ए42ए000ध् व जलकर 70ए400ध्ए चौमुखील पुल षवर में संपत्तिकर 4ए70ए000ध् व जलकर 43ए925ध्ए बजाज खाना गणेष देवरी षवर में संपत्तिकर 2ए55ए000ध् व जलकर 39ए750ध् की राष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित षवरों मेंें 62ए31ए144ध् संपत्तिकर व 13ए43ए910ध् जलकर की राष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।।

अनुपस्थित 44 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 20 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डो में 19 मार्च शुक्रवार को बिना सूचना के 44 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 20 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए

पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 20 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की

सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।
नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 20 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।
स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 20 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व

गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/20ण्03ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.